—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :— 150/2014

उनवान

सीताराम पुत्र नारायणलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम जगपुरा, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. बदामी पत्नी रामगोपाल
2. मोहन
3. पुखराज
4. मोहनी
5. पारसी पि. रामगोपाल समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम जगपुरा, नसीराबाद
6 राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
4 से 5 अनुपस्थित, 6 जरियें राज. पेरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 5/3/25

अधिवक्ता वादी ने उत आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोतीपुरा के वंर्किग खसरा नमबर 353 रकबा 1—6—0 में से 0—13—10 व 358 रकबा 0—17—0 के हाल खसरा नम्बर 942 रकबा 0.11 व 939 रकबा 0.14 की आराजी वादी ने जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 18.03.1982 को क्रय कर मौके पर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया। क्रय दिनांक से वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहा हैं राजस्व अभिलेख में आज दिवस तक वादग्रस्त आराजी विक्रेता के नाम ही दर्ज है। विक्रेता की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ही है। विक्रय पत्र की पालना अधिकार अभिलेख में नही होने के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्य, हसतोतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि हैं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने उक्त आराजी का कभी भी बैचान नही किया हैं।तथकथित विक्रय पत्र दिनांक 18.03.1982 के कथन पूर्णतया मिथ्या व गलत है। वादीगण द्वारा लगभग 40 वर्ष बाद उक्त वाद [illegible] है, जो मियाद बाहर है। अतः वाद पत्र सव्यय खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 4 से [illegible] प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में निम्न तनकियात [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:57:49 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

1. आया आराजी मुतनाजा वादी की विधिक कयशुदा है ?

—— वादी

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है ?

—— वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने रामलाल व मोहन का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् पारित किया जाता है :—

तनकी संख्या 1 :—

वादी द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र अनुसार ग्राम मोतीपुरा के वंर्किग खसरा नम्बर 353 रकबा 1—6—0 में से 0—13—10 व 358 रकबा 0—17—0 आराजी वाद सीताराम पुत्र नारायणलाल ने जरियें पंजीबद्व विकय पत्र दिनांक 18.03.1982 को तत्कालीन खातेदार रामगोपाल पुत्र गणेश से कय की थी। उक्त विकय पत्र पंजीबद्व है। जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण ने उक्त विकय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती भी नही दी है। वंर्किग जमाबंदी में भी आराजी मुतनाजा विकेता के नाम खातेदारी दर्ज है। विकेता को भूमि बेचान करने का पूर्ण अधिकार है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व विकय पत्र से आराजी मुतनाजा वादी की विधिक कयशुदा सिद्व होती है।

तनकी संख्या 2 :—

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा वादी की विधिक कयशुदा सिद्व होती हैं। हाल राजस्व अभिलेख में भूमि विकय पत्र की पालना में वादी के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से विकेता के नाम दर्ज कर दी गयी है। विकेता की मृत्यु हो गयी है, जिसके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ही हैं। धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार विकेता के खातेदारी अधिकार का अवसान हो चुका है। प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी द्वारा उकत वाद 40 वर्ष बाद पेश करने से वाद मियाद बाहर है। किन्तु धारा 88 के तहत खातेदारी उद्घोषणा के वाद की कोई मियाद नही होती है। प्रतिवादीगण का यह भी कथन है कि वादी द्वारा विकय पत्र को सिद्व करने हेतु कोई मौखिक साक्ष्य पेश नही किये है। किन्तु उक्त विकय पत्र पंजीबद्व है। तत्कालीन खातेदार द्वारा भूमि की प्रतिफल राशि प्राप्त कर विकय किया है। मूल खातेदार अथवा प्रतिवादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा के विकय पत्र को आज दिवस तक सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गयी है। विकय पत्र लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है वादी द्वारा मूल विकय पत्र पेश किया है जिसे मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित करने की कोई विधिक आवश्यकता नही है। वैसे भी मौखिक साक्ष्य की तुलना में लिखित साक्ष्य महत्वपूर्ण व निर्णायक होते है। आराजी मुतनाजा का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होने से वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी संख्या 2 बहक वा[illegible] है।

उक्तानुसार ग्राम मोतीपुरा के हाल खसरा नम्बर 942 रकबा 0.11 व 939 रकबा 0.14 की आराजी पर वाद का वाद स्वीकार किया [illegible] वादी को उक्त आराजी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:57:49 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:57:49 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सीताराम बनाम बदामी

दावा बाबत :— 88, 188. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956
राजस्व मुकदमा नम्बर — 150/2014
पेश करने की दिनांक — 27.10.2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई सीताराम रावत व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम मोतीपुरा के हाल खसरा नम्बर 942 रकबा 0.11 व 939 रकबा 0.14 की आराजी पर वाद का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 5 माह 3 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:37:49 IST
Reason: SelfAttested